एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

शासकीय महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय

(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड, इन्दौर **452001** (म.प्र.)

(चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से अनुमति तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

Website:- www.mahsimgm.in फोन : **0731-2528516**, फैक्सः **0731-2514328**, **E-mail:- mahsimgm@gmail.com**

सह–चिकित्सीय स्नातक,डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र

स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम

निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र **2021-22**

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)

के.ई.एच. कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पीटल के पास,

एम.वाय. हॉस्पीटल परिसर, इन्दौर, ४५२००१ (म.प्र.)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर

सह–चिकित्सीय स्नातक,डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम

निर्देशिका एवं आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र 2021-22

तालिका (Contents)

1.महत्वपूर्ण तिथियाँ / सुचना आवेदन शुल्क	3–4
2. संदेष	5–7
3. संरक्षक उच्च स्तरीय समन्वय समिति	8–9
4. प्राठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक	10
5.पाठ्यक्रम विवरण	11–17
6. नियम एवं निर्देश	18
7. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलभ्ध सीट	18
8. सीटों का आरक्षण	19
9. प्रवेश हेतु पात्रता	20–21
10. चयन प्रक्रिया / प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया	22–24
11. शुल्क – विवरण	25–26
12. प्रवेश निरस्तीकरण नियम	27
13. शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता	28
14. महत्वपूर्ण तिथियाँ	29
15. अभिभावकों कि आय का संयुक्त घोसणा–पत्र (प्रारूप)	30
16. शासकीय कर्मचारी आवेदकों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति / स्वीकृति / अनुमति प्रमाण पत्र (प्रारूप)	31
17. MODEL APPLICATION of Website : To be submit on www.mahsimgm.in	32–34
18. Documents to be uploaded with application form	35

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट(MAHSI)

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर

सह–चिकित्सीय स्नातक,डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण तिथियॉ / सुचना

#	तिथियॉ	सुचना
1.	15–10–2021 से 13–11–2021 तक	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाईट www.mahsimgm.in पर उपलब्ध होने एवं आनलाईन आवेदन जमा करने की समय–अवधि
2.	20–11–2021	प्रावीण्य सूची की घोषणा –(वेबसाइट www.mahsimgm.in एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
3.	22–11–2021	संस्था MAHSI कार्यालय / वेबसाईट www.mahsimgm.in पर अनंतिम प्राविण्य सूची से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव यदि हो तो लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सांय 3.00 बजे तक
4.	30–11–2021 से 03–12–2021 तक	स्नातक / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की तिथि
5.	13–12–2021	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में तत्समय शासन के निर्देशानुसार कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि

आवेदन शुल्कः– डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन शुल्कः

- अनारक्षित आवेदक : **रु 600 / – मात्र**
- आरक्षित श्रेणी (अनु. जाती / अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग): **रु 400 / – मात्र**

– आवेदन शुल्क का भुगतान RTGS /NEFT / IMPS या ऑनलाइन माध्यम से संस्था MAHSI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, म.य. चिकित्सालय परिसर इंदौर के बैंक खाता क्रमांक : **39938620715 IFSC Code : SBIN0030359** में जमा करवाकर ट्रांजेक्शन / भुगतान रसीद की प्रति स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन संस्था की वेबसाईट www.mahsimgm.in पर फीस पेमेंट ऑप्शन में अपलोड करना अनिवार्य है ।

– आनलाइन आवेदन फॉर्म के भुगतान के फीस पेमेंट ऑप्शन में उपरोक्त भुगतान की रसीद अपलोड नहीं किये जाने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा / क्लेम मान्य नहीं होगा । उक्त भुगतान रसीद की हार्ड कॉपी प्रति प्रवेश हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होने प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय

(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर

सह-चिकित्सीय स्नातक,डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण सुचना

1. आवेदन महाविद्यालय की वेबसाईट www.mahsimgm.in पर दिनांक 15–10–2021 से 13–11–2021 तक उपलब्ध होगे, आवेदन शुल्क के साथ online आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13–11–2021 है।

2. Online आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समस्त आवश्यक अंक सूची एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को उनकी अनंतिम प्रावीण्य सूचि के अनुसार निर्धारित काउन्सलिंग तिथि एवं समय पर प्रवेश समिति के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन की प्रति , ऑनलाइन जमा किये गये आवेदन शुल्क की प्रति , नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ , पहचान–पत्र (आधार , वोटर आय डी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) ,**काउन्सलिंग शुल्क राशि रु. 500/–**, समस्त दस्ताबेजों की मूल प्रति एवं एक सेट फोटोकॉपी , चयनित पाठ्यक्रम के प्रथम बर्ष हेतु आवश्यक शिक्षण एवं अन्य शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्वन्धी दावा निरस्त माना जावेगा एवं मेरिट लिस्ट के अनुसार आगामी आवेदक को पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा , जिसका किसी भी प्रकार का दावा अथवा क्लेम मान्य नहीं होगा।

4..उपरोक्त तिथियों/नियमों/विनियमों/सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट www.mahsimgm.in एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी । पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा सम्मलित होने किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कॉल लेटर/सुचना जारी नहीं की जावेगी ,अतः अपने मेरिट क्रमांक के अनुसार काउन्सलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक सूचनाओं हेतु संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था)
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
कार्यालय दूरभाष नंबर :— 0731—2527383, ईमेल :— dean-mgmmc@mp.gov.in
वेबसाईट :— www.mgmmcindore.in

संदेश

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का एक अत्यंत प्राचीनतम, गौरवमयी परम्परा निभाने वाला संस्थान है, जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के केन्द्र के रूप में वर्ष 1848 में किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात लगभग 74 वर्ष पूर्व मेडिकल स्कूल का उन्नयन कर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस गौरवमयी 140 वर्षीय इतिहास में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, शासकीय कैंसर चिकित्सालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मानसिक चिकित्सालय एवं मनोरमा राजे टीबी चिकित्सालय आदि महत्तवपूर्ण संस्थाऍ सम्मिलित हो रही हैं। इस कडी में कोरोना काल में सन् 2020 से एमजीएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी प्रारंभ किया गया है। इस श्रृंखला में 1997 से चरणबद्व तरीके से सह—चिकित्सीय पाठ्यक्रम के अर्न्तत क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर, डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी के माध्यम किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं सह—चिकित्सा का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्टेट अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट का गठन करते हुए अनेक सह—चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। वर्तमान में स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्तर के कुल 18 सह—चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2021—22 से संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विधाओं में दो नवीन पाठ्यक्रम — एम.पी.टी ऑन्कोलॉजी एवं एम.पी.टी जिरियाट्रिक एवं स्नातक स्तर के बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्निशियन एव ंबी—एस.सी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी तथा दो वर्षीय डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्निशियन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य में इन पाठ्यक्रमों के महत्व के बारे में संक्षिप्त में उल्लेख करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन बिना सह—चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टॉफ) के एक दिवा स्वप्न—सा है। मेरा यह भी मानना है कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत समस्याओं के समाधान में इस प्रकार के पाठ्यक्रम आने वाले समय में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे।

स्टेट अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को बहुत बहुत शुभकामनाऍ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

Message

We are all set for admission and to welcome the students of PG, UG, Diploma & Certificate Courses. The health care delivery scene is evolving at a rapid pace in India and globally and to keep abreast with the evolving need, it is our endeveaour at MGM Allied Health Science Institute (MAHSI) to inculcate the best clinical and human values in the students, enabling them to stand apart in today's health care world.

The academic ambience, senior professors and researchers of MGM Medical College, M.Y. Hospital & Associated Hospitals provide a great learning experience to our students which make them excel in their respective domain.

To meet the ever-increasing need of the students of Indore and various parts of state, a new campus is ready near KEH compound, Madhumilan square, M.Y. Hospital campus. The seats in various courses have also been increased to accommodate more students. A Hostel with requisite amenities for the students is also at the verge of completion. Our institute will have collaboration with International University. Through this we will have exchange of faculty and students.

Wishing you a bright future

Dr. D.K. Taneja
D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA
Founder Director
MGM Allied Health Sciences Institute, (MAHSI)
Former Dean, MGM Medical College, Indore

DR. POOJA SHUKLA
Registrar, M.P. Paramedical Council,
3rd Floor, Platinum Plaza, Mata Mandir Road,
Bhopal (MP) 462003

Message

The M.P. Paramedical Council is extremely pleased to learn that MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College; Indore has leaped ahead in its aspiration for educational and human resource development in the year 2021-22 by commencing various new paramedical courses.

The council acknowledges and appreciates assiduous efforts by the MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College, Indore and hopes that such quest for development would be continuous and the benefits would be widespread in the state.

The M.P. Paramedical Council sincerely wishes all the management and staff a huge success of the newly introduced courses.

The council will always stand with all progress-oriented steps and extends its blessings and support.

DR. POOJA SHUKLA
Registrar, M.P. Paramedical Council,
Bhopal (MP)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

संरक्षक

श्री मोहम्मद सुलेमान (IAS)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री निशान्त वरवडे (IAS)
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

डॉ.पवन कुमार शर्मा (IAS)
संभागायुक्त, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव (M.S.)
संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा,
D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA
पूर्व अधिष्ठाता
संस्थापक निदेशक
एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेस इस्टीट्यूट इन्दौर

डॉ. संजय दीक्षित
MD, PhD
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),
ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

मुख्य समन्वयक, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	:	डॉ. अनिता मूथा, विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायलॉजी विभाग
पाठ्यक्रम सलाहकार	:	डॉ. एस. बी. बंसल, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन
	:	डॉ सलिल साकल्ले, प्रोफेसर, पी एस एम
	:	डॉ. अशोक पंचोनिया, प्रोफेसर, पैथालॉजी
	:	डॉ. रामहरी मीणा, प्राचार्य, MAHSI

: संबधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक :

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
कैंन्सर हास्पिटल	:	डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	:	डॉ. हेमन्त जैन
मानसिक चिकित्सालय	:	डॉ. वी.एस पाल
मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय	:	डॉ. सलील भार्गव
एम.टी.एच. चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल	:	डॉ. सुमित शुक्ला

संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग	:	डॉ. अमीत जुल्का
फजियोलॉजी विभाग	:	डॉ. रवीन्द्र वाधवानी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	:	डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	:	डॉ. अशोक पंचोनिया
माईक्रोबायलॉजी विभाग	:	डॉ. अनिता मूथा
फार्माकोलॉजी विभाग	:	डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	:	डॉ. विजय भाईसारे
सर्जरी विभाग	:	डॉ. अरविन्द घनघोरिया
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग	:	डॉ. निलेश दलाल
मेडिसिन विभाग	:	डॉ. वी.पी. पाण्डे
रेडियोडाइग्नोसिस विभाग	:	डॉ अलका अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	:	डॉ आनंद अजमेरा
नाक कान गला विभाग	:	डॉ यामिनी गुप्ता
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	:	डॉ. संजय दीक्षित
एनेस्थिसिया विभाग	:	डॉ. के.के. अरोरा
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),
ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

प्राठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

मुख्य समन्वयक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ.अनीता मुथा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलाजी

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
	स्नातक पाठ्यक्रम			
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी(बी.पी.टी.)	फिजियोथेरेपी		डॉ. स्नेहा जोशी (शिक्षण समन्वयक)
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	आक्यूपेश्नल थेरेपी		
3	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर	रेडियोलॉजी	डॉ. अलका अग्रवाल	डॉ. सौरभ अतराम
4	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	माइक्रोबायोलॉजी	डॉ अनिता मूथा	डॉ प्रियंका सोलंकी
5	बी -एस सी, इन ओ. टी. टेक्नालॉजी	सर्जरी	डॉ अरविंद घनघोरिया	डॉ अंकुर माहेश्वरी
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
6	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	मेडिसीन	डॉ. वी.पी. पाण्डे	डॉ. योगेश जामरा
7	डिप्लोमा इन ह्यूमन न्युट्रीशन टेक्निशियन	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	डॉ. हेमन्त जैन	डॉ.मंजू विश्वास
8	डिप्लोमा इन आप्थेलिमक असिस्टेन्ट टेक्निशियन	नेत्र रोग	डॉ विजय भाईसारे	डॉ. नितु कोरी
9	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्य	डॉ. देवेन्द्र चावडा
10	डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन	कॉर्डियोलॉजी	डॉ ए. डी. भटनागर	डॉ लोकेन्द्र रेकवाल
	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम			
11	सर्टीफिकेट इन रेस्पीरेट्री टेक्निशियन	टी.बी. चेस्ट	डॉ. सलील भार्गव	डॉ. सुनील मुकाती

COURSE'S DESCRIPTION
DEGREE COURSES

1. BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY: (BPT)

Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programs that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques and implement programmes for screening, prevention and treatment of many physical ailments and disorders.

SCOPE:- Physiotherapy is an essential part of the health and community/welfare services delivery system. Physiotherapists practice independently of other health care/service providers and also within multidisciplinary rehabilitation/habilitation programmes to prevent, gain, maintain or restore optimal function and quality of life in individuals with loss and disorders of movement.

Physiotherapists are guided by their own code of ethical principles. Thus, they may be concerned with any of the following purposes:

1. Promoting the health and well-being of individuals and the general public/society, emphasizing the importance of physical activity and exercise.

2. Preventing impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities in individuals at risk of altered movement behaviours due to health or medically related factors, socio-economic stressors, environmental factors and lifestyle factors.

3. Providing interventions/treatment to restore integrity of body systems essential to movement, maximize function and recuperation, minimize incapacity, and enhance the quality of life, independent living and workability in individuals and groups of individuals with altered movement behaviors resulting from impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities

4. Modifying environmental, home and work access and barriers to ensure full participation in one's normal and expected societal roles

Physiotherapists may also contribute to the development of local, national and international health policies and public health strategies.

SETTINGS IN WHICH PHYSIOTHERAPY IS PRACTICED

Physiotherapy is delivered in a variety of settings which allow it to achieve its purpose. Prevention, health promotion, treatment/intervention, habilitation and rehabilitation take place in multiple settings that may include, but are not confined to, the following:

1. Community based rehabilitation programmes

2. Community settings including primary health care centres, individual homes, and field settings

3. Education and research centres

4. Fitness clubs, health clubs, gymnasia and spas

5. Hospices 6. Hospitals

7. Nursing homes

8. Occupational health centres

9. Out-patient clinics

10. Physiotherapist private offices, practices, clinics

11. Prisons

12. Public settings (e.g., shopping malls) for health promotion

13. Rehabilitation centres and residential homes

14. Schools, including pre-schools and special schools

15. Senior citizen centres

16. Sports centres/clubs 17. Workplaces/companies

(**Source :** Model Curriculum Handbook PHYSIOTHERAPY Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)

2. BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY: (BOT)

Occupational Therapy is a health related profession that deals with therapeutic management of various neuromuscular, musculoskeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotors impairments, mental retardation or mental illnesses.

SCOPE-

- Hospital set up , Rehabilitation centre, School for disabled children
- De-addiction Centres
- Psychiatric clinics
- Centre for mentally retarded
- Child development centres
- Industrial Medical Facilities
- Private Practice
- Geriatric homes/ Old age Homes
- Social services and council departments.

3. B.Sc. X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN : (BXRT)

Radiography is the science of taking images of the internal parts of the human body for the purpose of diagnosing diseases and ailments. This includes the use of X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound etc. X-ray Technicians provides images of various body organs, to understand patient's health status and provide treatment as needed; they are also taught how to use radio waves to treat various tumors and other cancerous ailments.

SCOPE-

- Government and Private Hospitals
- Diagnostic centres, as well as Super specialty and Multi specialty Hospital
- Cancer units in medical colleges and cancer hospitals.

4. BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY: (BMLT)

Bachelor in Medical Laboiratory Technology course is a 3 years undergraduate course that involves study related to detection, treatment and diagnosis of deseas with the help od clinical laboratory test. The graduates of BMLT Course can opt for the jobs including medical technicians lab technologists, etc. and are in huge demand in today's medical msector. A candidate can choose to work as research scholar / scientist or in research and development laboratories. The medical technology field include areas such as blood banks, clinical chemistry, heamatology/ immunology, microbiology, urine analysis and blood sampling, etc.

Scope-

- Hospitals
- Nusing Homes
- Corporate Hospitals
- Medical Colleges

5. B.Sc. IN OPERATION THEATER TECHNOLOGY: (B.Sc. OT Techn.)

BSc in Operation Theater Technology is a 3 years undergraduate course that includes preoperative, peraoperative and post operative arrangements of operation theater like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving and management of surgery.

Scope-

- Hospitals
- Nusing Homes
- Corporate Hospitals
- Medical Colleges

DIPLOMA COURSES

1. DIPLOMA IN OPHTHALMIC ASSISTANT

Ophthalmic Assistant is a person who works with an ophthalmologist. They help ophthalmologist care for patients by taking history, performing various technical procedures, tests and preparing patients for various medical and surgical procedures. They provide the ophthalmologist with important information to help diagnose and treat patients.

SCOPE-

- Eye Clinical setup
- Eye hospital
- Medical college
- Optical companies

2. DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN

An allied healthcare professional who operates and maintains dialysis machine for patients with kidney diseases. Kidney dialysis makes the difference between life and death for those who suffer from renal failure. These technicians maintain and operate the equipment used for dialysis, a process that cleanses the blood of metabolic waste products.

SCOPE-

- Hospitals
- Renal clinics
- Medical colleges

3. DIPLOMA IN HUMAN NUTRITION TECHNICIAN

Nutritionists are health professionals who create diet for people. Teaching patients about healthy eating, they also go into research.

SCOPE-

- Work as nutrition consultant and advisors
- Public health promotion officers
- Community developmental officers
- Quality and nutrition coordinators
- Food technologists

4. DIPLOMA IN RADIOTHERAPY TECHNICIAN

Radiotherapy also called as radiation therapy, is the treatment of cancer & other diseases with ionizing radiation. The radiotherapy technician works under onchologist, and onchosurgeons and they are responsible for providing a dose of radiotherapy as prescribed.

SCOPE –

- Hospitals with cancer units
- Medical colleges
- Research institutes.

5. DIPLOMA IN CATH LAB TECHNICIAN

Diploma in Cath Lab Technician is a two years paramedical diploma course. Technicians are trained to assess interventional cariologist in performing diagnostic and therauputic invasive cardiac procedure with the help of cardiac and coronary imaging. The students will be trained to assist Doctor during procedure such as coronary imaging including angiography, IVUS, FFR, perputaneous coronary intervention, rotational atherectomy, peripheral angiography and interventions for structural heart diseases. Students will be able to interpret basic ECG and recognized cardiac arrhythmias.

SCOPE –

- Hospitals
- Diagnostic Center
- Nursing Home
- Cardiac clinic
- Medical colleges
- Medical Equipment manufacturing company

CERTIFICATE COURSE

1. CERTIFICATE IN RESPIRATORY TECHNICIAN

A respiratory technician work with doctors and other health care professional to evaluate, treat and care for patient who have breathing and other cardiopulmonary dysfunction. They also performs diagnostic tests like pulmonary function test, do limited physical examination, administer breathing treatment, record patient's progress and consult with physicians and surgeon on continuing care.

SCOPE-

- Hospitals,
- Chest & allergy clinics
- Medical colleges
- Sports injury centres

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),
ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

नियम एवं निर्देश

1. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
	स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम		
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4 1/2 वर्षीय	100
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4 1/2 वर्षीय	30
3	बैचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर (बी एक्स आर टी) टेक्निशियन	3 वर्षीय	20
4	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (बी एम एल टी)	3 वर्षीय	50
5	बैचलर इन आपरेशन थियेटर टेक्नालॉजी	3 वर्षीय	50
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम		
1	डिप्लोमा इन ह्ययूमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	20
2	डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट	2 वर्षीय	10
3	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
4	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
5	डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
	सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम		
1	सर्टिफिकेट कोर्स इन रेस्पोरेट्री टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
		कुल सीट	360

नोट :– डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की अवधि में 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविघालय, इंदौर से सम्बद्ध शासकीय चिकित्सालयों में पूर्ण करना होगा। शासन/संस्था के निर्देशानुसार समस्त डीग्री पाठ्यक्रमो में आवश्यक इन्टर्नशिप लागु की जा सकती है।

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College-Indore (M.P.)
Available Seats Distribution in Degree/Diploma/Certificate Courses : 2021-22 Session
Subject to Rules & Order of MP State Govt. / MP Paramedical Council

B- सीटों का आरक्षण – म.प्र. शासन नियमानुसार पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में आरक्षित श्रेणीयो के आवेदकों हेतु **अनुसूचित जनजाति**–20 प्रतिशत, **अनुसूचित जाति**–16 प्रतिशत, **अन्य पिछडा वर्ग**– 14 प्रतिशत सीट आरक्षित है एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ¼EWS½ हेतु सीटे –10 प्रतिशत

S. N	Name of Course	Duration	Unreserved						Schedule Caste					Schedule Tribes					OBC					Total
	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	Open	PHC	MP	FF	IS	EWS	Open	PHC	MP	FF	IS	Open	PHC	MP	FF	IS	Open	PHC	MP	FF	IS	
1	बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4 1/2 वर्षीय	42	1	1	1	0	5	13	1	1	1	0	18	1	1	0	0	13	0	0	1	0	100
2	बैचलर डिग्री इन आक्यूपेशनलथेरेपी (बी.ओ.टी.)	4 1/2 वर्षीय	12	1	0	0	0	2	4	0	1	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	1	0	30
3	बैचलर डिग्री इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	3 वर्षीय	8	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	20
4	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	3 वर्षीय	21	0	0	0	1	3	7	1	0	0	0	9	0	0	1	0	6	0	1	0	0	50
5	बी–एस.सी. इन ओ.टी. टेक्नालॉजी	3 वर्षीय	20	0	0	1	1	3	7	0	1	0	0	9	1	0	0	0	6	0	0	0	1	50
6	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निषियन	2 वर्षीय	07	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	1	20
7	डिप्लोमा इन ह्यूमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	9	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	20
8	डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट	2 वर्षीय	3	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10
9	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	2 वर्षीय	8	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	20
10	डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निषियन	2 वर्षीय	8	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	1	20
11	सर्टीफिकेट इन रेस्पोरेट्री टेक्निशियन	1 वर्षीय	7	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0	0	1	0	20
	Total Available Seats																							**360**

उक्त सूचि में पाठ्यक्रमों/सीटों की संख्या में राज्य शासन के अनुसार परिवर्तन संभव है एवं पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार संस्था के अधीन है।

PHC- Physically Handicapped (Divyang), MP- Military Personnel, FF- Freedom Fighter IS-In Service Candidate (शासकीय सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित) EWS – Economically weaker Section

(1) सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
(2) प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33 प्रतिषत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
(3) तीन (3%) प्रतिषत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक सवर्ग के लिए आरक्षित होगी।
(4) **दिव्यांग प्रवर्गः**– ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेष राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए उनके सम्वन्धित संवर्ग में 3% सीट नियमानुसार आरक्षित है।यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

नोट : दिव्यांग श्रेणी में प्रवेष हेतु केवल निचले अंगों की गतिक विकलांगता में 50 से 70 % दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होगें। 50 से 70 % (PH-1) की विकलांगता के आभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 से 50 % (PH-2) के अभ्यार्थियों से उक्त सीटों में प्रवेष प्रदान किये जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र अनिवार्य है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगीः– 1. हाथ की विकलांगता 2. अंधापन 3. बहरापन 4. पैरों की 70% से अधिक विकलांगता

C. प्रवेश हेतु पात्रता

1. **शैक्षणिक अर्हता**: पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु, विहित की गई न्यूनतम षैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड /विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. **आयुः** पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु आवेदक की आयु प्रवेष हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। BXRT तकनीशियन डिग्री और रेडियोथेरेपी तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश के दिन 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।

3. **न्यूनतम अर्हकारी अंक**.– पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु, अर्हकारी भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 % अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 % अंक निर्धारित हैं।

4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी । पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक को मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक को ही दिया जाएगा।

5. मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र : – प्रवेश के समय पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. **गैप सर्टिफिकेट** – यदि आवेदक ने वर्ष 2020 में या उससे पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे नोटराइज्ड गैप सर्टिफिकेट जमा करना होगा ।

7. सभी दस्तावेजों में आवेदक का नाम समान होना चाहिए, यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आवश्यक वैध दस्तावेज जमा करना होगा।

8. **नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :–**

a) विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों हेतु– शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होगे।

b) पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 20 अंक)

c) मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10% सीट आरक्षित है, उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक/संचालक/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय) से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति /स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है।

d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र पृ. क्रमांक 748–51 स्था/अराज/ 2007 दिनांक 05 /11/2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे।

e) बहु–उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियो को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ।

f) संबंधित कर्मचारी का उक्त पाठ्यक्रम के चयन होने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।

h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती, पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।

i) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

j) अनापत्ति प्रमाणपत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे हैं।

k) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

l) विभागीय शासकीय कर्मचारियों विश्वविद्यालय/परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत इसी संस्था में अन्य छात्रों की तरह 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय/परिषद की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविघालय, इंदौर से सम्बद्ध शासकीय चिकित्सालयों में पूर्ण में पूर्ण करनी होगी।

D. चयन प्रक्रिया

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदकों के लिए प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रदान किया जाएगा, मेरिट लिस्ट 10 + 2 (12 वीं कक्षा) की परीक्षा के भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगी।

2. किसी पाठ्य क्रम के लिये विहित न्यूनतम आर्हता के आधार पर तैयार मैरिट लिस्ट में अंको की समानता की दशा में – म. प्र. के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारो को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. मेरिट लिस्ट में स्थानीय जिले के आवेदकों के सामान प्राप्तांक होने पर उम्र में वरिष्ठ आवेदक को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

4. मेरिट लिस्ट में समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की दशा में वरीयता क्रम में जीव विज्ञानं , रसायन विज्ञानं एवं भौतकी बिषयों के क्रम में अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

5. म. प्र. के मूल निवासी से भिन्न आवेदक– पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक को हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा ।

6. संस्था में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत किसी भी कारण से किसी अन्य महाविघालय / विश्वविद्यालय में स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जावेगा। इसी प्रकार अन्य महाविघालय/ विश्वविद्यालय के छात्र को स्थानांतरण द्वारा संस्था में प्रवेश पात्रता नहीं होगी।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया : –

1. आवेदकों को एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टिट्यूट (MAHSI) , एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर में निर्धारित तिथियों और समय पर उनकी मेरिट लिस्ट के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा सम्मलित होने किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कॉल लेटर/सुचना जारी नहीं की जावेगी ,अतः अपने मेरिट क्रमांक के अनुसार काउन्सलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक सूचनाओं हेतु संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।
3. आवेदकों को निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रुप से संस्था MAHSI में काउन्सलिंग तिथि एवं समय पर प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटो के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन की प्रति , ऑनलाइन जमा किये गये आवेदन शुल्क की प्रति , नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ , पहचान–पत्र (आधार , वोटर आय डी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) ,काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेबल राशि **रु. 500/–(रु.पॉच सौ रुपये मात्र),** समस्त दस्ताबेजों की मूल प्रति एवं एक सेट फोटोकॉपी , **चयनित पाठ्यक्रम के प्रथम बर्ष हेतु आवश्यक शिक्षण एवं अन्य शुल्क** के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्वन्धी दावा निरस्त माना जावेगा एवं मेरिट लिस्ट के अनुसार आगामी आवेदक को पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा , जिसका किसी भी प्रकार का दावा अथवा क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. प्रवेश समिति द्वारा मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश हेतु आमंत्रित किये जाने पर आवेदक को काउन्सलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 500/– (नॉन रिफंडेबल) जमा करवाना होगा। उक्त शुल्क जमा होने के उपरांत ही काउन्सलिंग में पंजीयन किया जाकर आवश्यक दस्ताबेज सत्यापन, सीट आवंटन एवं पाठ्क्रमों में अनंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

6. **पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्न मूल दस्ताबेज एवं एक सेट अभिप्रमाणित छायाप्रति/सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा करवाना होगा :–**

समस्त आवेदकों हेतु :–

1 – 10 वी कक्षा की बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची

2 – 10+2 / हायर सेकेण्डरी (12 वी) कक्षा की बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची

3 – टी. सी. : स्थांतरण प्रमाण पत्र (स्कूल/कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र)– मूल प्रति प्रवेष के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

4 – बोर्ड /यूनिवर्सिटी द्वारा जारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट

5 – आधार कार्ड की फोटोकॉपी

6 – जन्म प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक/उपलब्ध हो)

7 – मूल निवासी प्रमाण पत्र (स्व–सत्यापित /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)

8 – मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी)

9 – गैप सर्टिफिकेट (यदि लागु हो तो)

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाती /जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों हेतुः–

1 – जाती प्रमाण पत्र : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

2 – आय प्रमाण पत्र : वर्तमान वित्तीय बर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी / आयकर विभाग में जमा रिटर्न की प्रति/ पे स्लिप : '1 अप्रैल 2021 कि स्थिति में'

3 – अभिभावकों (माता/पिता/पालक `) की वार्षिक आय का सयुंक्त घोषणा पत्र

4 – समग्र आय.डी. की प्रति

अन्य आवश्यक दस्ताबेज (यदि लागु हो तो)

1– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र/सर्टिफिकेट) :सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

2 – दिव्यांगता/विकलांगता (PHC) सर्टिफिकेट : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी. एवं पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र– अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी

3 – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का प्रमाण –पत्र : जिला कलेक्टर द्वारा जारी

4 – मिलिट्री संवर्ग का प्रमाण पत्र : जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी

सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी आवेदकों हेतु : –

(1) नियमित सेवा नियुक्ति आदेश

(2) कार्यभार ग्रहण करने का पत्र

(3) नियमितीकरण सम्वन्धी आदेश

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति/स्वीकृति/अनुमति प्रमाण पत्र (संलग्नं प्रारूप अनुसार)

7. सभी दस्तावेजों में आवेदक का नाम समान होना चाहिए, यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आवश्यक वैध दस्तावेज जमा करना होगा।

नोटः— प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों को संस्थान में काउसलिंग/प्रवेश के दौरान जमा किये जावेंगे एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत संस्था की विभिन्न सम्वन्धित शाखाओं से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरांत वापिस लोटाये जावेंगे, यदि प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छात्र किन्ही कारणों से पाठ्यक्रम छोड़ता है तो छात्र /अभिभावक को सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान संस्था को MAHSI के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा करना होगा।

8. आवेदकों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट–कम–ऑप्शन के आधार पर काउंसलिंग द्वारा निम्न श्रेणी अनुक्रम में प्रदाय किये जावेंगे –

I- एसटी श्रेणी II- एससी श्रेणी III- ओबीसी श्रेणी IV- अनारक्षित श्रेणी (EWS आरक्षण भी सम्मिलित)

आरक्षित श्रेणी की सीटों पर प्रवेश हेतु निर्धारित आरक्षण की सीमा में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध करवाकर निम्नानुसार प्रवेश प्रदान किये जा सकेंगे –

1. एसटी श्रेणी की रिक्त सीटों की एससी श्रेणी वर्ग के योग्य आवेदक द्वारा पूर्ति की जावेगी।
2. एससी श्रेणी की रिक्त सीटों की एसटी वर्ग के योग्य आवेदक द्वारा पूर्ति की जावेगी।
3. एसटी और एससी श्रेणियों में आरक्षण की सीमा में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्त सीटों की पूर्ति ओबीसी श्रेणी के योग्य आवेदक द्वारा की जावेगी।
4. उपरोक्त तीनो आरक्षित श्रेणियों (ST/SC/OBC) में उपयुक्त पात्र आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित वर्ग के योग्य आवेदकों द्वारा एवं काउन्सलिंग के तृतीय चरण के पश्चात भी आरक्षित सीटें रिक्त रहने की दशा में, संस्थान प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा।

9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग(FF), मिलिट्री संवर्ग(MP),दिव्यांगता/विकलांगता (PHC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS), इन–सर्विस (IS) श्रेणियों में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं नहीं होने की दशा में रिक्त सीटों को उक्त सम्वन्धित श्रेणी की स्वतंत्र सीट में परिवर्तित कर सम्वन्धित श्रेणी के उपर्युक्त आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

7. आरक्षित श्रेणियों (ST/SC/OBC) के आवेदक, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूचि के साथ –साथ अनारक्षित सूचि में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं।

8. आवेदक द्वारा काउंसिलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।

9. संस्था द्वारा आवेदक को काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मलित होने किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

F. शुल्क – विवरण : (FEES- STRUCTURE)

शुल्क का विवरण सत्र 2021–22

म.प्र. शासन, चिकित्सा षिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5–14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 के की कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्र.६–26/कॉलेज–2020–2021/3015/2020 भोपाल दिनांक 16–10–2020 के अनुसार

स्नातक पाठ्यक्रम बीपीटी/बीओटी/बीएक्सआरटी/ बीएमएलटी/बीएससी ओटी हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 66,370
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
	कुल योग रुपये	रुपये 74370

द्वितीय/तृतीय/ अंतिम वर्ष के लिये देय शुल्क रू. 69,370 होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 41,600
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
	कुल योग रुपये	रुपये **49,600**

द्वितीय वर्ष के लिये देय शुल्क रू.44,600/– होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

एक वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शुल्क

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 29,220
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
	कुल योग रुपये	रुपये **37,220**

एक वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होगें।

नोटः
1. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पष्चात ही वापस लौटायी जावेगी।
2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारीयों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
3. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4% की स्वतः बढोत्तरी होगी।

❖ **पाठ्यक्रम शुल्क–** आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र (क्र./पोमेछा/परिपत्र/2004–05/3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/पोमेछा/परिपत्र/परिपत्र/2012–13/3660 इंदौर दिनांक 02.07.2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता/पालक का सयुंक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

शुल्क से सम्वन्धित महत्वपुर्ण बिंदु :–

1. आवेदकों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष के देय शुल्क काउंसलिंग के समय प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रुप से जमा करवाने होंगे। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम बर्ष के देय शुल्क एक मुश्त नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसिलिंग के दौरान) संस्था संस्था MAHSI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, म.य. चिकित्सालय परिसर इंदौर के बैंक खाता क्रमांक : **39938620715 IFSC Code : SBIN0030359** में जमा करवाकर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी । आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्ताबेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।

2. **सीट लीविंग बांड** :– डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 2,25,000/–, बी.एक्स.आर.टी, बी.एम.एल.टी., बी–एस.सी.ओ.टी. पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 1,50,000/– एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 50,000/– का सीट लीविंग बांड रु. 500/– के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्च पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना पाठ्यक्रम छोडता है तो वह सीट लीविंग बांड राशि संस्था में जमा करवायेगा। उक्त सीट लीविंग बांड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।

3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व–वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन–सर्विस केंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।

4. आरक्षित श्रेणीः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।

5. छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में शिक्षण एवं अन्य शुल्क जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क राशि रू. 20/– प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।

6. यदि विद्यार्थी को खराव आचरण , गैर – कानूनी/असामाजिक गतिविधियों ,नियमो के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काषित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।

7. छात्रों को समय–समय पर कंप्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि आदि लागू शुल्क देय होंगे।

8. यदि छात्र किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तर्रीण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा देनी होगी एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। छात्र के अनुत्तरीण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

G. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रियाः –

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्ताबेज/ अधूरी/ गलत जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है , ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान किसी भी समय बिना किसी भी पूर्व सुचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त सम्वन्ध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में छात्र को सम्वन्धित विभागाध्यक्ष /नोडल के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा संस्था में प्रवेश स्वतः निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में सम्वन्धित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।

3. बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिवस तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वत : निरस्त माना जावेगा। अनुपस्थिति की उक्त अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।

4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है / कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/ गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है /संकाय सदस्य, साथी विघार्थी, मरीज एवं उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार/ रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है, संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र–छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेष निरस्त कर सकते है।

5. मध्य प्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् के अनुसार प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के संज्ञान में आता है कि कोई छात्र /छात्रा कि अनियमितता /अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पायी गयी है तो परिषद् उक्त छात्र /छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

5.<u>उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :</u> –

यदि आवेदक/विद्यार्थी काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्ताबेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है , तो उक्त सम्वन्ध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जमा करवाए गए शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय , इंदौर को प्राचार्य, MAHSI के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत ही सम्वन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्ताबेज सम्वन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लोटाये जावेंगे।

H. दस्ताबेजों का सत्यापन :–

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजों के सत्यापन कि यदि आवश्यकता होती है तो सम्वन्धित जारीकर्ता विभाग/ अधिकारी को प्रेषित कर दस्ताबेजों का सत्यापन करवाया जावेगा , उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन कि जावेगी।

I. छात्रावास सुविधाः –

छात्रावास की सुविधा केवल छात्राओं के लिए MAHSI गर्ल्स हॉस्टल में सीटों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान द्वारा तय किए गए शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। वर्तमान में छात्र (बॉयज) के लिए कोई छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्र (बॉयज) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करें।

J. **विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :–**

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुसाशन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमो का पालन करना अनिवार्य है।

2. विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर/मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल/महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशाषी संस्था–इंदौर/MAHSI द्वारा जारी समस्त नियम–नियमाकुल, पत्र–परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाओं में **80%** उपस्थिति अनिवार्य है , इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक–पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओ में सम्मलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्वन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृति एवं शुल्क–प्रतिपूर्ति हेतु सम्वन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।

4. विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्वन्ध में ''**जीरो टॉलरेंस निति** '' का पालन करना होगा,उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोउपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो सम्वन्धित विद्यार्थी को संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं सम्वन्धित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।

5. अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5% तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओ में सम्मलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मलित करने हेतु अनुशंषा की जा सकेगी।

6. समय –समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक , विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्वन्ध में अवलोकन करते रहे।

7. कक्षा/लैब/विभाग एवं संस्था में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफेद एवं डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।

8.मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ,जबलपुर/मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्ताबेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9.फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरपी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत 06 माह की अनिवार्य इंटर्नशिप महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्वद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करनी होगी, तदोपरांत इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र जारी होने पर ही सम्वन्धित विद्यार्थी को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डिग्री प्रदान की जावेगी।

10. BXRT, BMLT, BSc OT एवं विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्वद्ध चिकित्सालयों में 03 महीने की क्लीनिकल पोस्टिंग(क्लीनिकल कार्य) पूर्ण करना अनिवार्य है।

11. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप/क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने के उपरांत ही सम्वन्धित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ,जबलपुर द्वारा डिग्री/ डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल द्वारा सम्वन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किया जावेग।

12.पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।

सूचनाः – प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलो में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र इंदौर होगा।

K. महत्वपूर्ण तिथियॉ

#	तिथियॉ	सुचना
1.	15–10–2021 से 13–11–2021 तक	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाईट www.mahsimgm.in पर उपलब्ध होने एवं आनलाईन आवेदन जमा करने की समय–अवधि
2.	20–11–2021	प्रावीण्य सूची की घोषणा –(वेबसाइट www.mahsimgm.in एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर
3.	22–11–2021	संस्था MAHSI कार्यालय / वेबसाईट www.mahsimgm.in पर अनंतिम प्राविण्य सूची से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव यदि हो तो लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सांय 3.00 बजे तक
4.	30–11–2021 से 03–12–2021 तक	स्नातक / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की तिथि
5.	13–12–2021	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में तत्समय शासन के निर्देशानुसार कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि

काउन्सलिंग :–काउसिलिंग उपरोक्त तिथियों पर प्रातः 09.00 बजे से निम्नानुसार क्रम में प्रावीण्य सूची एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश हेतु आयोजित की जावेगी। काउसिलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा :–

1. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी (डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों हेतु)
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनुसूचित जाति
4. अन्य पिछड़ा वर्ग
5. EWS, अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग की शेष बची हुई सीटों के लिए

नोटः 1. उपरोक्त श्रेणियों में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीट की पूर्ति म.प्र. शासन के प्रवेश नियम अनुसार की जावेगी। आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचीत जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग) में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीटों की पूर्ति अनारक्षित वर्ग से की जावेगी।

1. मिलिट्री पर्सन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त सीटों की पूर्ति जिस श्रेणी से उक्त सीटे आवंटित है उसी श्रेणी के आवेदको को प्रवेश दिया जावेगा।
2. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रथम चरण में यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो द्वितीय चरण की काउसलिग हेतु मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रसारित जावेगी एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी।

एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टिट्यूट (MAHSI)
एमजीएम मेडिकल कॉलेज ,इंदौर (म.प्र.)
फिजियोथेरेपी एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सत्र : 2021–22

अभिभावकों कि आय का संयुक्त घोसणा–पत्र

(अनुसचित जाती /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र /छात्रा के अभिभावकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

मैं ....शपथपूर्वक घोसणा करता हूँ कि मेरा व्यवसाय ....है ,तथा मेरी बार्षिक आय रु. ....(शव्दो में रु. ....) प्रतिवर्ष है। मेरी पत्नी श्रीमती .... का व्यवसाय .... है एवं बार्षिक आय रु. ....(शव्दो में रु. ....) है। हमारे परिवार कि कुल बार्षिक आय रु ....है।

अथवा

मेरी पत्नी साधारण गृहणी है , अतः उनकी कोई अतिरिक्त आय नही है।

दोनों कि बार्षिक आय का सक्षम अधिकारी धनियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

हम यह भी घोसणा करते है कि उपर्युक्त आय बाबत प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर हमारे पुत्र /पुत्री .... का प्रवेश निरस्त करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।

– यदि उक्त त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण –पत्र के आधार पर हमारे पुत्र /पुत्री ने शिक्षण शुल्क / स्कालरशिप में कोई राहत प्राप्त कि होगी तो उक्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क / स्कालरशिप राशि का भुगतान संस्था को हमारे द्वारा किया जायेगा।

पिता के हस्ताक्षर ....
पूर्ण नाम ....

माता के हस्ताक्षर ....
पूर्ण नाम ....

' जो लागू ना हो , उसे काट देवे।

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट(MAHSI)
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था),इन्दौर (म.प्र.)
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2021-22

केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2021-22

1. श्री / श्रीमती...पद... नियुक्ति की दिनांक .... विभाग का नाम ....को पैरामेडिकल द्वि वर्षीय डिप्लोमा / एक वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु सहमति दी जाती है।

2. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेष विवरणीका के दिशा–निर्देषों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

सील एवं मोबाइल नं.

(अधिष्ठाता / जिला प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक)

नोटः– उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यो में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी / (अधिष्ठाता / जिला प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेष विवरणीका के दिशा–निर्देषों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

MODEL APPLICATION on Website- www.mahsimgm.in

APPLICATION FORM
(PHYSIOTHERAPY (BPT) & PARAMEDICAL DEGREE / DIPLOMA / CERTIFICATE COURSES FOR SESSION 2021-22)

*Application form to be filled in English CAPITAL Letters

APPLICATION FORM	
Name of Applicant	
Gender	
Category	
Sub-Category	
Date of Birth	
Age as on date of advertisement i.e. On (12.10.2021) (Age eligibility min. 17 years and max. 45 years) Min. age 18 years required for admission in BXRT and Dip. Radiotherapy on the day of counselling.	
AADHAR Number	
Mobile Number	
Email	
FAMILY DETAILS	
Father's / Husband's Name	
Father's Occupation	
Mother's Name	
Mother's Occupation	
Annual Family Income in Rs.	

DOCUMENTS (APPLICABLE FOR RESERVED CATEGORY - ST/SC/OBC)	
Digital Cast Certificate Number	
Samagra ID Number	
Samagra Family ID Number	
ADDRESS	
Permanent Address	
Street	
City	
Pin Code	
State	
Correspondance Address	
Street	
City	
Pin Code	
State	
Local Guardian's Mobile Number (If any)	
Birth Place	
Native District (मूल निवासी)	
Native State (मूल निवासी)	
Nationality	

EDUCATIONAL QUALIFICATION

Exam Name	Board	Year of Passing	Subject	Max Marks	Obtained Marks	%
Highet Secondary (10+2)			Biology			
			Chemistry			
			Physics			
			Total Marks (PCB)			
			Total Marks (All Subject)			

-:DECLARATION:-

मैं आवेदक / आवेदिका विधिवत घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित समस्त जानकारी सत्य एवं सही है

1. इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत कि गई समस्त जानकारीयाँ सही एवं सत्य है।

2. मैं वचन देता / देती हूँ कि यदि संस्था में मुझे प्रवेश मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से संस्था में वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करूँगा / करूँगी और भविष्य में यदि इन नियमो एवं दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पालन के लिए भी वचनबद्ध हूँ।

3. मैं शपथ पूर्वक यह भी कथन करता / करती हूँ कि संस्था एवं संस्था के बाहर ऐसी किसी भी प्रकार कि असामाजिक गतिविधियो में सम्मिलित नहीं रहूँगा / रहूँगी, जिससे संस्था कि साख व प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए।

4. प्रवेश के समय मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ गलत या असत्य पाई जाती है तो संस्था को यह पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि मेरा प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दे । मेरे प्रवेश नीरस्तीकरण पर मेरे द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क राजसात करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा ।

5. मेरे द्वारा संस्था के प्रवेश नियमों एवं दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं सत्यापित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा जमा किये गये शिक्षण शुल्क आदि की राशि (वापसी योग्य राशि को छोड़कर) वापसी का दावा किसी भी स्थितियों में प्रस्तुत नहीं करूँगा / करूँगी।

मैंने उपरोक्त घोषणा पढ़ एवं समझ ली है (कृपया बॉक्स पर क्लिक करें)

Save and Proceed to Upload Application fees payment receipt and documents

List of Documents to be uploaded on application No. @ website www.mahsigm.in

Scan Copy have to be uploaded as required :-

1. **फोटो** – *अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का वर्तमान का*

2. हस्ताक्षर

3. आवेदन शुल्क का भुगतान RTGS /NEFT/ IMPS या ऑनलाइन माध्यम से संस्था MAHSI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, म.य. चिकित्सालय परिसर इंदौर के बैंक खाता क्रमांक : 39938620715 IFSC Code : SBIN0030359 में जमा करवाकर ट्रांजेक्शन/भुगतान रसीद की प्रति स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन संस्था की वेबसाईट www.mahsimgm.in पर फीस पेमेंट ऑप्शन में अपलोड करना

4. कक्षा 10 वीं की अंकसूची

5. कक्षा 12 वीं की अंकसूची

6. आधार कार्ड

7. मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/स्व–घोषित)

8. समग्र आय.डी.

9. जाति प्रमाण–पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)

10. वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)

11. यदि लागू हो तो – दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/ सैनिक का प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र

12. गेप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2021 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)

13. शासकीय कर्मचारी आवेदकों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति/स्वीकृति/अनुमति प्रमाण पत्र